रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 <u>REGD. No. D. L.-33002/99</u>

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-09102025-266819 SG-DL-E-09102025-266819

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

| सं. 45] | दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 6, 2025/आश्विन 14, 1947 | [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 269 |
|---------|---|----------------------------|
| No. 45] | DELHI, MONDAY, OCTOBER 6, 2025/ASVINA 14, 1947 | [N. C. T. D. No. 269 |

भाग II—I PART II—I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालयः नई दिल्ली अधिसूचना

दिल्ली, 27 सितम्बर, 2025

सं. 81/नियम/डीएचसी.—भारत सरकार के संचार मंत्रालय के द्वारा डाक उत्पादों के पुनर्गठन, जिसके अंतर्गत "पंजीकृत डाक" सेवा को "स्पीड पोस्ट" सेवा में विलय किया जा रहा है तािक विकसित होती संचार आवश्यकताओं और तकनीकी प्रगित के अनुरूप परिचालन दक्षता, ट्रैकिंग क्षमता और ग्राहक सुविधा में सुधार हो सके, के परिणामस्वरूप दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि "पंजीकृत डाक" शब्द जहां कहीं भी इस न्यायालय से संबंधित और इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए किसी भी नियम, अधिसूचना, अभ्यास निर्देशों और आदेशों आदि में आते हैं, तो उन्हें भारत सरकार के संचार मंत्रालय के डाक विभाग द्वारा अधिसूचित "पंजीकृत डाक" सेवा के "स्पीड पोस्ट" में विलय की तिथि से "स्पीड पोस्ट" के रूप में पढ़ा जाएगा।

न्यायालय के आदेशानुसार, अरुण भारद्वाज, महानिबंधक

6677 DG/2025 (1)

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI NOTIFICATION

Delhi, the 27th September, 2025

No. 81/Rules/DHC.—Consequent upon rationalization of Mail Products by the Department of Posts of Ministry of Communications, Government of India, whereby the "Registered Post" service is being merged into the "Speed Post" service to improve operational efficiency, tracking capability and customer convenience in line with evolving communication needs and technological advancements, the High Court of Delhi in exercise of powers under Section 7 of Delhi High Court Act, 1966 and all other powers enabling it in this behalf, hereby notifies that the words "Registered Post" wherever, they occur in any Rules, Notifications, Practice Directions and Orders etc. relating to this Court and issued by this Court be read as "Speed Post" with effect from the date of merger of "Registered Post" Service into "Speed Post" as notified by the Department of Posts, Ministry of Communications, Government of India.

By Order of the Court,

ARUN BHARDWAJ, Registrar General